प्रेस नोट
दिनांक 17.04.2025

थाना धानेपुर पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौतस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद ट्रक मय 28 अदद गौवंश बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में एस0ओ0जी0 व थाना धानेपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान राधा स्वामी आश्रम के 500 मीटर दूर जमुनागंज के पास पुलिस मुठभेड के दौरान गौ तस्कर शमशेर पुत्र इदरीस नि0 ग्राम धुसुरा पोस्ट दुधारा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 28 अदद गौवंश ट्रक में लदे हुए बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16/17.04.2025 की रात्रि एस0ओ0जी0 व थाना धानेपुर की संयुक्त टीम चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त में रवाना होकर राधा स्वामी आश्रम के पास संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ट्रक यू0पी0 51 ए0टी0 6988 संदिग्ध दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे भगा दी। जिसको पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें ट्रक चालक द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी और पुलिस टीम पर भागते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में शातिर गौ तस्कर/चालक शमशेर पुत्र इदरीश के पैर में गोली लगी। जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 28 अदद गौवंशीय पशु ट्रक में लदे हुए बरामद किया गए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त शमशेर पुत्र इदरीश द्वारा बताया गया कि वह निवासी ग्राम धुसरा पोस्ट दुधारा जनपद संतकबीर नगर का निवासी है। तथा गौवंश की तस्करी करता है जिन्हे वह लादकर बिहार प्रान्त के सिवान मे ले जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में इसके कुछ अन्य साथियों का नाम भी प्रकाश में आया है जिसके सम्बन्ध में धानेपुर पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शमशेर पुत्र इदरीस नि0 ग्राम धुसुरा पोस्ट दुधारा जनपद संतकबीर नगर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-77/25, धारा 109 बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तंचमा 315 बोर मय 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।
02. 01 अदद ट्रक नं0- यू0पी0 51 ए0टी0 6988 मय 28 अदद गौवंशीय पशु

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. निरी0 संजय कुमार गुप्ता प्रभारी एस0ओ0जी0।
02. प्र0नि0 निर्भय नारायण सिंह थाना धानेपुर।
03. उ0नि0 अनुज त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस
04. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय थाना धानेपुर।
05. उ0नि0 परशुराम सिंह।
06. उ0नि0 रामकृपाल यादव।
07. उ0नि0 रामबिलाश यादव।
08. हे0का0 अमित पाठक एस0ओ0जी0
09. हे0का0 हृदय नारायण दीक्षित।
10. हे0का0 रणधीर सिंह।
11. हे0का0 रवि।
12. का0 अमितेश सिंह।
13. का0 अंशुमान पाण्डेय।
14. का0 आदित्य पाल।
15. हेड का0 अखिलेश राय थाना धानेपुर।
16. हेड का0 आनन्द यादव थाना धानेपुर।
17. हेड का0 सचिदानंद यादव थाना धानेपुर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड को और बेहतर बनाने की दिशा में छात्राओं/महिलाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शोहदों/मनचलों के विरुद्ध अबतक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु एंटी रोमियों स्क्वाड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभिनव प्रयोग किया गया है। जनपद के समस्त थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारीगण तथा सभी एन्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा अभियान चलाकर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कॉलेजों/आंगनबाडियों आदि में पहुँचकर फीडबैक फॉर्म छात्राओं व महिलाओं को वितरित कराकर उनके बहुमूल्य सुझाव लिए गए। छात्राओं द्वारा अपने फीडबैक में दिये गए सभी बिंदुओं को थानावार चिन्हित कर उनकी मैपिंग की गयी। जिससे सभी टीमों को शोहदों/मनचलो द्वारा छात्राओ/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी किये जाने वाले स्थानों की व्यापक जानकारी हुई। छात्राओं/महिलाओं द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सम्बन्धित स्थानों (दुकानों, मॉल, गली मोहल्लों, पार्कों, मन्दिरों व स्कूल/कालेजों के आस पास के क्षेत्रो पर) के आस-पास गोण्डा पुलिस की एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम मनचलो को पकड़ कर रेड कार्ड निर्गत किया गया तथा चेतावनी दी गयी कि निर्गत रेड कार्ड पाने वाले शोहदे दुबारा इस तरह की हरकत करते पाये गये तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रेड कार्ड पाने वाले शोहदों का पूरा विवरण एंटी रोमियो टीम द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में नोट किया जा रहा है। इसे भविष्य के रिकॉर्ड के लिए थाने में सुरक्षित भी रखा जाएगा ताकि अवश्यकता पड़ने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। **उक्त अभियान के क्रम में चैत्र नवरात्रि से अबतक जनपद की सभी एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा कुल-260 स्कूल/कालेजों/आंगनबाडियों में पंहुचकर छात्रा/छात्राओं/महिलाओं से करीब 11,312 फीडबैक फार्म प्राप्त कर सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब तक जनपद में 291 स्थानों को चिन्हित कर एण्टीरोमियों स्क्वाड द्वारा छात्रों/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 154 शोहदों/मनचलों के विरूद्ध रेडकार्ड जारी किया गया तथा दो प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।**

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 17.04.2025</u>

<u>'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 5,000/– अर्थदण्ड की सजा–</u>

दिनांक 03.06.2022 को थाना को0 मनकापुर में वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ विपक्षी चिन्ताराम वर्मा द्वारा छेड़छाड़ की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर मु0अ0सं0–183/2019, धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त चिन्ताराम वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 कन्हैया दीक्षित द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14.06.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

<u>दोषसिद्धि का विवरण–</u>

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे आज दिनांक 17.04.2025 को उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर व थाना मनकापुर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्त चिन्ताराम वर्मा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

<u>अभियुक्त का नाम पता–</u>

01. चिन्ताराम वर्मा पुत्र शिवराम वर्मा नि0 रमदापुर दतौली थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–183/2019, धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>